न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— मुकेश कुमार कलाल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 11/2012

तारीख दायरा—23.02.2012

तारीख निर्णय—26.05.2017

1. श्री मोहनलाल पिता श्री डुंगरी जी पालीवाल निवासी सेमटाल तहसील गोगुन्दा।

.....वादी

बनाम

1. श्री अम्बालाल पिता श्री खेमराज जी पालीवाल निवासी सेमटाल तहसील गोगुन्दा
2. श्री नाथुलाल पिता श्री डुंगरी जी पालीवाल निवासी सेमटाल तहसील गोगुन्दा
3. श्री लीलाशंकर पिता जगन्नाथ जी पालीवाल निवासी सेमटाल तहसील गोगुन्दा
4. श्री पृथ्वीराज पिता श्री जगन्नाथ जी पालीवाल निवासी सेमटाल तहसील गोगुन्दा
5. श्री मनोहरलाल पिता श्री जगन्नाथ जी पालीवाल निवासी सेमटाल तहसील गोगुन्दा
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री गिरिजा शंकर मेहता

प्रतिवादी की ओर से— एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य की आराजी नम्बर 308, 309, 367, 368, 369, 370, 371, व 372 किता 08 कुल रकबा 0.8400 है0 भूमि मौजा सेमटाल पटवार सर्कल मजावडी तहसील गोगुन्दा में स्थित है। उपरोक्त सम्पूर्ण आराजियात में वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग—अलग हिस्सा निहित है एवं उसी हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण कृषि कार्य करते चले आ रहे है, परन्तु उक्त आराजियात का रकबा छोटा—छोटा होने एवं खातेदारों की जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदार अधिक होने से आये दिन मौके पर भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित विवाद होते रहते है, जिससे हमेशा खातेदारान के मध्य आपसी विवाद बना रहता है एवं खातेदारान को अपने—अपने जगह का उपयोग उपभोग व कृषि कार्य में समस्या उत्पन्न होती है। अतः निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के मध्य हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किया जाकर भूमि अलग—अलग खाते दर्ज की जावें। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें कि भूमि का जब तक बंटवाड़ा नही हो जाता तब तक भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें एवं वादी के शान्ति पूर्ण कृषि कार्यो में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा किये जाने में कोई आपत्ती नही होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार गोगुन्दा को मौके पर जाकर विभाजन करने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया।

प्रारम्भिक डिकी की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर उभय पक्ष को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। विभाजन योजना प्रस्ताव पर उभय पक्ष को बहस सुनी गई। उभय पक्ष ने जाहिर किया कि बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी सभी पक्षकारान को लगभग–लगभग बराबर–बराबर दी गई है, जिससे सभी पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नहीं है, इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिकी निम्नानुसार जारी की जाती है।

अतः वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा सन्टाल तहसील गोगुन्दा की आराजी नम्बर 367 रकबा 0.1100, 368 रकबा 0.0900, 371 रकबा 0.1650 किता 03 कुल रकबा 0.3650 है0 भूमि का श्री अम्बालाल पिता खेमराज ब्राहमण, आराजी नम्बर 372 रकबा 0.2350 है0 भूमि का श्री गणेशलाल, किशनलाल पिता श्री नाथुलाल ब्राहमण को, आराजी नम्बर 308 रकबा 0.0100, 309 रकबा 0.1000, 369 रकबा 0.1150, 370 रकबा 0.0150 किता 4 कुल रकबा 0.2400 है0 भूमि का जगन्नाथ पिता हेमा, मोहनलाल पिता डुंगरी जी ब्राहमण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एतद्नुसार डिकी पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, उदयपुर